न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -03/2024

अनवान

1. राकेश कुमार पिता श्री शम्भूलाल ब्राह्मण, जाति ब्राहमण, आयु 30 वर्ष, निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जी, जाति ब्राहमण, आयु बालिग, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक प्रार्थी
प्रदीप कुमार बिल्लू अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 19.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आप न्यायालय श्रीमान् में एक वाद पत्र धारा 188 रा.टि.एक्ट का प्रस्तुत किया है जो कि सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही वादी के पक्ष में निर्णित होगा लेकिन उक्त वादपत्र के निर्णय होने तक प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त खातेदारी अधिकारी की आराजी पर पक्का निर्माण कर लेंगे तथा रास्ते को अवरूद्ध कर देंगे जिससे वाद में और पेचिदिगियां खड़ी हो जाएगी तथा वादी का वाद लाना ही व्यर्थ हो जाएगा इसलिए वादी को तुरन्त रिलिफ की आवश्यकता होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र पेश है। ग्राम मौजा लक्ष्मीपुरा, प0ह0 बलकुण्डीकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 148, खसरा संख्या 359 रकबा 0.4300 हेक्टर कृषि भूमि खाते में मुझ प्रार्थी राकेश कुमार एवं सह खातेदारान इन्द्रा बाई, तेजी बाई, प्रेमराज, मुकेश कुमार, संगीता बाई पत्नी शम्भूलाल ब्राह्मण, 6/42 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, तथा अप्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल एवं सह खातेदार गेंदमल, जमनी बाई, नन्दू बाई का 4/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा बाली बाई का 1/7 हिस्सा, लाड़ बाई , संतोष बाई का भी 1/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त आराजी संख्या 359 में हम सभी खातेदारान को आनेजाने के लिए एक आम रास्ता बना हुआ है उक्त आम रास्ते पर अप्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल कृषि भूमि का बिना बंटवारा हुए जबरन ताकत व बल पर आम रास्ते को अवरूद्ध कर पक्का निर्माण कार्य कर मकान निर्माण कर रहा है जिसका कि उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 359 पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारान की संयुक्त एवं शामलाती कृषि आराजियात है जिसका कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, बिना बंटवारा कराये किसी भी कृषि भूमि पर किसी भी खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य कर मकान निर्माण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रार्थी को अपने स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि की रक्षा करने [illegible] क व अधिकार है। इसलिए अप्रार्थी संख्या को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना [illegible] चित [illegible] अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मौजा लक्ष्मीपुरा में प्रार्थी एवं सहखातेदारान एवं अप्रा[illegible] की संयुक्त कृषि भूमि आराजी संख्या 359 रकबा 0.4300 हेक्ट [illegible] संख्या 01 [illegible] द्वारा जो अवैध निर्माण कर रास्ता बंद किया जा रहा है, उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पा[illegible] फरमाया जावे कि वह आराजी संख्या 359 में किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य ना तो स्वय करें ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से कराये जाने का निवेदन किया। ---

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (मुहर)
रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार बिल्लू पैरवी हेतु मय वकालतनामा उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-212 सिधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर सिधे बहस प्रार्थना पत्र अन्तिम सुनाई।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा लक्ष्मीपुरा, प0ह0 बलकुण्डीकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 148, खसरा संख्या 359 रकबा 0.4300 हेक्टर कृषि भूमि खाते में मुझ प्रार्थी राकेश कुमार सहखातेदार है। आराजी संख्या 359 में हम सभी खातेदारान को आने जाने के लिए एक आम रास्ता बना हुआ है, उक्त आम रास्ते पर अप्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल कृषि भूमि का बिना बंटवारा हुए, जबरन ताकत व बल पर आम रास्ते को अवरूद्ध कर पक्का निर्माण कार्य कर मकान निर्माण कर रहा है, जिसका की उके कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11.01.2024 को हमारे पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर न्यायालय श्रीमान द्वारा आदेश पारित किया गया था। जवाब में वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 359 में आम रास्ता बनाया हुआ बताया है। नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता नहीं है। वादी ने अनुतोष में रास्ता बंद नहीं किया जावे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पूर्व में नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करवाए जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के परिवार वालों के मौके पर बंटवारा कर रखा है। हम पक्षकारों के सयुंक्त खाते की जमीन के उत्तर की ओर मुख्य सडक मार्ग है। सडक मार्ग पर स्वर्गीय मोतीलाल के चारों पुत्रों ने बराबर बंटवारा कर लिया है। मुख्य सडक के पश्चिम की ओर गेंदमल ने मकान बना लिया है। मुख्य सडक के पश्चिम की ओर गेंदमल ने मकान बना लिया है। गेंदमल के आगे उंकारलाल की पत्नि का बाडा है जिसमें आधे में बाली बाई ने मकान बना लिया है। बाली बाई के मकान के आगे मुझ विपक्षी संख्या 01 के हिस्से की जमीन है। जिसमें आधे में मेने मकान बना लिया है और आधे में मकान का काम चल रहा है। मुझ विपक्षी संख्या 01 का मकान बनाने में भी बाली बाई व गेंदमल को भी कोई एतराज नही है। केवल प्रार्थी ने मुझे परेशान करने की नियत से झूठा दावा किया है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद कारण उत्पन्न नहीं होने बंटवारे के अनुतोष के बिना पोषनीय नही होने से प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा को खारीज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत मौजा लक्ष्मीपुरा, प0ह0 बलकुण्डीकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 148, खसरा संख्या 359 रकबा 0.4300 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो का हक हिस्सा पृथमदृष्टया होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान अपने अपने कब्जे में काश्त करे आवागमन बाधित न करे तथा प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि में किसी [illegible] दखल, खुर्द बुर्द, क्रय-विक्रय, रहन इत्यादि न करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)